

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 38/2015

वादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-62 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट
लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड
नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा
जिला-अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हंसाराम पुत्र भागू
2. बुधाराम पुत्र भागू
3. सुखाराम पुत्र भागू
4. जोराराम पुत्र भागू
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
5. उगमादेवी पत्नि चम्पादास
जाति-साद, निवासी-खेड़ा
6. छोटी बेवा कालू
7. नाथू पुत्र कालू
8. सुखा पुत्र छीतर
9. केसीदेवी पत्नि बालाराम
10. पूनाराम गोद पुत्र बालाराम
11. बलदेव पुत्र भाराराम
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)




राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रज्:30.03.2015

उपस्थितः 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-


दिनांक:- 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत है। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया है, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2383 रकबा 2-10 बीघा किरम सेवज अब्ल की आई हुई है। जिसमें


जयपुर (पाली)

वादी कम्पनी 1/2 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 2383 रकबा 2-10 बीघा किरम सेवज अव्वल भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि यानि रकबा 1 बीघा 05 बिरवा भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामिल होती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2383 रकबा 2-10 बीघा किरम सेवज अव्वल भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि यानि रकबा 1 बीघा 05 बिरवा भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 08/03/15 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं, वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायदावा दिनांक 08/03/15 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्वर म्याद हक अख्तियार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का माफिक दावा में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईशतदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 28/04/2015 को




 उपस्थित अधिकारी
 वादी

एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हो। मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र का करवाया गया तथा दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 को प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास पर व्यक्त किया कि वादी स्वयं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वयं खातेदार व काबिज काश्तकार हैं तथा बंटवाड़ा किये जाने के अधिकारी हैं। उपरिथत लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण को बंटवाड़ा हेतु अधिकृत किया गया तथा उनके द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत की हैं, सा0मि0 किया गया। वकील मय वादी ने अंतिम बहस में माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 वाद डिक्री किया जाकर उक्तानुसार बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा वादी का वाद माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/15 के डिक्री किया जाना तथा बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

--: आदेश :-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/15 डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2383 रकबा 2-10 बीघा किरम सेवज अचल की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा विस्वा विस्वांसी	किरम	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अब्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2383	1-05-00	से0अ0	1.25 रु.
2	हंसाराम बुधाराम सुखाराम जोराराम पि0 भागूराम 1/8 गुर्जर उगमादेवी पत्नि चम्पादास साद 1/8 छोटी बेवा कालू नाथू पुत्र कालू सुखा पुत्र छीतर केसीदेवी पत्नि बालाराम पूनाराम गोद पुत्र बालाराम बलदेव पुत्र भारूराम गुर्जर 1/4 खातेदार।	2383/1	1-05-00	से0अ0	1.24 रु.

तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जावता दाखिल होकर लेख्य भण्डार जमा हो।



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास में सुनाया गया।

डिक्री बगुकदमें इत्दादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाखा दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गुकाम:- जैतारण
 बर्जलारास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0
 वादीगण :-

बनाम प्रतिवादीगण :-
 श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
 जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
 (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
 जवाहरलाल चौपड़ा आयु-62 वर्ष
 निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट
 लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड
 नगर अब्धेरी देवरी, तह.-मसूदा
 जिला-अजमेर

1. हंसाराम पुत्र भागू
2. बुधाराम पुत्र भागू
3. सुखाराम पुत्र भागू
4. जोराराम पुत्र भागू
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
5. उगमादेवी पत्नि चम्पादास
जाति-साद, निवासी-खेड़ा
6. छोटी बेवा कालू
7. नाथू पुत्र कालू
8. सुखा पुत्र छीतर
9. केसीदेवी पत्नि बालाराम
10. पूनाराम गोद पुत्र बालाराम
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
11. बलदेव पुत्र भारूराम
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-खेड़ा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
मु0न0 :रा0वा0 स0:38/2015



राजस्व वाद बाबत तकासमा आराजी एवं
 स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188
 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/15 डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2383 रकबा 2-10 बीघा किस्म सेवज अब्ल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अब्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2383	1-05-00	से0अ0	1.25 रु.
2	हंसाराम बुधाराम सुखाराम जोराराम पि0 भागूराम 1/8 गुर्जर उगमादेवी पत्नि चम्पादास साद 1/8 छोटी बेवा कालू नाथू पुत्र कालू सुखा पुत्र छीतर केसीदेवी पत्नि बालाराम पूनाराम गोद पुत्र बालाराम बलदेव पुत्र भारूराम गुर्जर 1/4 खातेदार।	2383/1	1-05-00	से0अ0	1.24 रु.

उपखण्ड अधिकारी
 जैतारण (पावी)

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंदवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिफ्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नगबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२	=००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	१	=००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०	=००	महनताना वकील		
महनताना वकील		—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	६	=००	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		—	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		—	मुत्फरिक		
मिजान:-	७	=००	मिजान:-	—Nil—	

नोट- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिफ्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।